

श्री बांगड़ माहेश्वरी मेडिकल वेलफेयर सोसायटी

अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा का "प्रेरणा प्रकल्प"

प्रशासनिक कार्यालय : 1 मेन सेक्टर, शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा (राज.)

फोन : 01482-250911, Email : abmm@sangamgroup.com

गम्भीर बीमारी से ग्रस्त रोगी द्वारा सहायता हेतु

आवेदन पत्र

स्वयं का
पासपोर्ट साइज
फोटो लगावे

फेमेली आईडी क्रमांक

सहायता हेतु आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण होना आवश्यक है :

1. फेमेली आईडी क्रमांक अंकित होना व उसका मिलान महासभा से प्राप्त सूची से होना आवश्यक है ।
2. परिवार के अन्य सदस्य आय अर्जितकर्ता है उसका विवरण और परिवार से अलग FID है तो उसकी फेमेली आईडी क्रमांक
3. बीमारी का पूर्ण विवरण तथा डॉक्टर का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है ।
4. अस्पताल में भर्ती रहने का प्रमाण-पत्र (डिस्चार्ज) संलग्न करना आवश्यक है ।
5. भर्ती के दौरान क्रय की गई दवाईयों तथा अस्पताल के बिल जिस पर जीएसटी नम्बर अंकित हो मय सूची प्रस्तुत करें ।
6. अ - मेडिकलेम स्वयं द्वारा क्रय पोलिसी से प्राप्त राशि का विवरण दे /होने वाली है तो भी विवरण दें
- ब - सामूहिक बीमा योजना में बीमा से प्राप्त राशि या प्राप्त होने वाली है उसका विवरण देवे
7. निम्न बीमारियों में सहायता नहीं दी जाती है :-
अ - आँख से सम्बन्धित रोग, आँखों के ऑपरेशन आदि ब - मलेरिया, फ्लू, सामान्य बुखार, निमोनिया, डायरिया
स - दाँत से सम्बन्धित रोग द - जनरल टी.बी.
8. एक परिवार या एक फेमेली आईडी में एक सदस्य को सहायता दी जावेगी ।
9. रोगी एवं परिवार के सभी सदस्यों की आय अंकित करना आवश्यक है ।

नोट - इस आवेदन पत्र को भरने से पहले उपरोक्त सूचनाओं को ध्यान पूर्वक पढ़कर उसी के अनुसार आवेदन करें ।

1. रोगी का पूरा नाम उम्र
2. पिता/पति का नाम
3. डाक का पूरा पता
- ई-मेल मोबाइल/फोन
4. रोगी की आय प्रमाण संलग्न करे
5. परिवार के सभी सदस्यों की कुल आय..... इसके लिए शपथ पत्र संलग्न करें
6. परिवारजनों की संख्या पुरुष महिलाएँ..... बालक बालिकाएँ योग
7. बीमारी का नाम जिसका उपचार कराया जा रहा है
उक्त बीमारी कितने समय से है
8. इस बीमारी पर होने वाला अपेक्षित व्यय
9. (अ) परिवार के किसी भी सदस्य को पूर्व में इस सोसायटी से प्राप्त सहायता विवरण
- (ब) अन्य संस्था/संस्थानों/ट्रस्टों द्वारा प्राप्त सहयोग राशि
- राजकीय योजनाओं से सहायता राशि प्राप्त होने वाली है या हो गई है तो उसका भी विवरण देवे
10. मेडिकलेम पॉलिसी है तो उससे प्राप्त होने वाली राशि (स्वयं द्वारा अथवा सामूहिक बीमा योजनाओं का पूर्ण विवरण)

